

## निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (207) निकाशि / अनु/08/399

दिनांक : 19/11/13

### आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय / संकाय
207	सेवा महाविद्यालय, गणेश जी रोड, विराट नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय / संकाय

- रास्था संबंधित निश्वविद्यालय ऐ संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि यहाविद्यालय को प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय / विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या रीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित संस्थाम स्थानीय निकाय / नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानदिक्तों के अनुरूप किया जायेगा।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी।
- नापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस दिनांक द्वारा वेबसाइट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन0एस0एस / एन0सी0सी / रोलरिंग एवं रेजरिंग (स्कॉउट / गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 30 सितम्बर, 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

निदेशक,  
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री भवोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- गिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (अनुदान)